भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1661
01 अगस्त, 2024 को उत्तर देने के लिए

संरक्षण और प्रसंस्करण अवसंरचना

1661 श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री हरीभाई पटेल:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान कृषि तथा कृषि से इतर संरक्षण एवं प्रसंस्करण अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) फसल-उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किसानों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई पहलों या सहायता कार्यक्रमों का विशिष्ट ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक प्रत्येक राज्य में अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के विवरण सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की उन्नति के लिए राज्यों-संघ राज्यक्षेत्रों को आवंटित धनराशि के वितरण और व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसी समय-सीमा के दौरान खाद्य प्रसंस्करण अथवा संरक्षण उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को दी गई ऋण संबद्ध वित्तीय सहायता जिसमें प्राप्तकर्ताओं की संख्या और संवितरण की समग्र राशि भी शामिल है, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2017-18 से एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक है और इसने देश के खाद्य परिरक्षण और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पीएमकेएसवाई घटक योजनाओं का एक व्यापक पैकेज है, जिसका उद्देश्य फार्म गेट से लेकर रीटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं, अर्थात मेगा फूड पार्क (01.04.2021 से बंद), एकीकृत शीत श्रृखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना का सृजन, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन (01.04.2021 से बंद) और ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म परिरक्षण और प्रसंस्करण अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान सहायता /सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1217 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल परियोजना लागत 31308.24 करोड़ रुपये है, जिसमें 8698.18 करोड़ रुपये का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अनुदान/सब्सिडी शामिल है, जिससे पीएमकेएसवाई की उपर्युक्त घटक योजनाओं के तहत उनकी शुरुआत से लेकर 2024-25 तक (30.06.2024 तक) 22610.06 करोड़ रुपये का निजी निवेश आकर्षित किया। 1217 में से 651 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे क्रमशः 48.91 एलएमटी/प्रति वर्ष और 183.523 एलएमटी/प्रति वर्ष का परिरक्षण और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा तैयार हुआ है।

(ख): प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन(पीएमएफएमई) योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत, किसानों और सूक्ष्म स्तर के उद्यमियों दोनों के लिए "फसलोत्तर होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उत्पादों का मूल्य वर्धन" विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। एमएफएमई योजना के तहत, देश भर में 76 कॉमन इनक्यूबेशन सेंटरों को मंजूरी दी गई है ताकि किसान फसलोत्तर होने वाले नुकसान को कम करके अपनी उपज को संसाधित करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग कर सकें।

इस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, तंजावुर (एक स्वायत्त शैक्षणिक सह अनुसंधान संस्थान) का पीएमएफएमई सेल नियमित रूप से किसानों को पीएमएफएमई योजना और विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों के मूल्य वर्धन के बारे में जागरूक करने के लिए वेबिनार आयोजित कर रहा है। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन, भंडारण और हैंडलिंग पहलुओं को कवर करते हुए अब तक 26 वेबिनार आयोजित किए जा चुके हैं। इन वेबिनारों से देश भर में लगभग 37,330 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। निफ्टेम - तंजावुर का खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय इनक्यूबेशन सेंटर भी नियमित रूप से कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण / मूल्य वर्धन और भंडारण पर एफपीओ को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है और इस केंद्र ने 1500 से अधिक प्रशिक्षण आयोजित किए हैं, जिनमें 10,000 लाभार्थी शामिल हुए हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अपनी अनुसंधान गतिविधियों के माध्यम से फसल कटाई के बाद की मशीनरी, भंडारण संरचनाएं और प्रोटोकॉल, उच्च मूल्य/मूल्य वर्धित उत्पाद विकसित करता है और किसानों और अन्य हितधारकों के बीच फसलों और कमोडिटी के फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है। आईसीएआर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण और मेलों , मेरा गाँव मेरा गौरव(एमजीएमजी) यात्राओं के दौरान जन संपर्क जैसी आउटरीच गतिविधियों,पब्लिक व्याख्यान, विविध मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रचार-प्रसार आदि के माध्यम से आधुनिक भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा, आईसीएआर भंडारण संबंधी अध्ययनों, आधुनिक भंडारण प्रोटोकॉल के विकास और भंडारण सुविधाओं को उन्नत करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को परामर्श सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, फसल कटाई के बाद की हानि को कम करने की तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है और कुछ गैजेट और उपकरण, जो कृषि उपज के भंडारण, हैंडलिंग और प्रसंस्करण में सहायता करते हैं, अनुसूचित जाति उप-योजना निधि के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित पात्र लाभार्थियों को वितरित किए जाते हैं।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार निधि का आवंटन नहीं किया जाता है। पीएमकेएसवाई मांग आधारित है और यह राज्य, जिला, क्षेत्र या फसल विशेष नहीं है।

(घ): पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं, अर्थात मेगा फूड पार्क (01.04.2021 से बंद), एकीकृत शीत श्रृखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन /विस्तार, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन (01.04.2021 से बंद) और ऑपरेशन ग्रीन्स, के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान/सब्सिडी के रूप में क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण होता है। वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान, पीएमकेएसवाई की उपर्युक्त घटक योजनाओं के तहत अनुमोदित 553 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को ₹ 2513.27 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

*****